

राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ राजस्थान जयपुर

क्रमांक:- नर्सिंग/नर्स-1/ओ-50/26695/2024/180

दिनांक:- 12.3.2024

:-आदेश:-

निदेशालय के आदेश क्रमांक 39 दिनांक 20.01.2023 के द्वारा क्रम संख्या 57 पर अकिंतानुसार श्री ओम प्रकाश भाटी, वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी, प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, किशनगढ जिला अजमेर जिनकी जन्म तिथि 01.01.1964 होने पर 60 वर्ष की अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने पर दिनांक 31.12.2023 से राज्य सेवा से सेवानिवृत्त किया गया था, के विरुद्ध तत्समय विभागीय जांच लम्बित थी, वर्तमान में निदेशालय के आदेश क्रमांक सीओ/एनएस/एफ-2299/2023/850 दिनांक 22.12.2023 के द्वारा लम्बित प्रकरण समाप्त होने पर इनके विरुद्ध वर्तमान में:-

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लंबित नहीं है।
 2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लंबित नहीं है।
 3. कोई न्यायिक कार्यवाही विचाराधीन/लंबित नहीं है।
- शेष यथावत ।

(राकेश कुमार शर्मा)
निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान जयपुर

क्रमांक:- नर्सिंग/नर्स-1/ओ-50/26695/2024/

दिनांक:-

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जोन-अजमेर।
3. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजकीय यज्ञनारायण चिकित्सालय, किशनगढ, अजमेर के पत्रांक 801 दिनांक 27.01.2024 के क्रम में।
4. संबंधित कर्मचारी को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
5. प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करे।
6. आदेश/निजी पत्रावली।

निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान जयपुर

RajKaj Ref
5940751

Document certified by RAKESH KUMAR
SHARMA <rasrakeshsharma@gmail.com>

Digitally Signed by Rakesh
Kumar Sharma
Designation: Director
Date :12-03-2024 12:43:43

DFA

